

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड

29, कबीर मार्ग (निकट योजना भवन) क्ले स्कायर, लखनऊ - 226001

दूरभाष नंबर: 0522 - 2235906

ई निविदा विज्ञप्ति

पत्रांक : 1877 / ई-टेंडरिंग / गोरखपुर - मंडल/ यू० पी० सी० एल० डी० एफ० / 2018-19

दिनांक: 16.11.2018

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (C.L.D.F.) द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जनपद महाराजगंज के विकास खंड घुघुली में आरसीसी पुलिया के निर्माण कार्य की निविदाएं पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों से दिनांक 17.11.2018 से दिनांक 22.11.2018 को पूर्वाह्न 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। ई-निविदायें दिनांक 17.11.2018 से दिनांक 22.11.2018 तक वेबसाइट पर अपलोड / डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगी। जिसकी टेक्निकल बिड दिनांक 22.11.2018 को अपराह्न 3.00 बजे सी० एल० डी० एफ० मुख्यालय में निविदा समिति / अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष ऑनलाइन खोली जाएँगी। तकनीकी बिड में अहर्ता पूर्ण करने वाले निविदादाताओं की वित्तीय बिड दिनांक 26.11.2018 को अपराह्न 3.00 बजे उक्त समिति द्वारा खोली जाएँगी। निर्माण कार्यों के स्थल, कार्य की अनुमानित लागत, धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र का मूल्य आदि का विवरण एवं अन्य समस्त जानकारी यू० पी० सी० एल० डी० एफ० की वेबसाइट www.upcldf.in तथा ई टेन्डरिंग की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर देखा जा सकता है।

नोडल अधिकारी
ई टेन्डरिंग कमेटी
यू० पी० सी० एल० डी० एफ० लखनऊ

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड

29, कबीर मार्ग (निकट योजना भवन) क्ले स्कायर, लखनऊ - 226001

दूरभाष नंबर: 0522 - 2235906

ई-निविदा प्रपत्र

पत्रांक: / 878 / ई-टेंडरिंग / गोरखपुर - मंडल/ यू० पी० सी० एल० डी० एफ० / 2018-19

दिनांक: 16.11.2018

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जनपद महाराजगंज के विकास खंड घुघुली में आरसीसी पुलिया के निर्माण कार्य की निविदाएं हेतु पंजीकृत ठेकेदारों / फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/ समय		17.11.2018 से 22.11.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक			
टेक्निकल बिड खोलने की तिथि / समय		दिनांक 22.11.2018 को अपराह्न 03.00 बजे			
वित्तीय बिड खोलने की तिथि / समय		दिनांक 26.11.2018 को अपराह्न 03.00 बजे			
क्र स	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण की अवधि
		(रु०)	(रु०)	(रु०)	(माह)
1	ग्राम लक्ष्मीपुर देउरवा मार्ग पर 2x4 मी० स्पेन की पुलिया का निर्माण कार्य	20,62,000.00	41,200.00	1,200.00	3
2	ग्राम विश्वनाथपुर ड्रेन पर 2x5 मी० स्पेन की आरसीसी पुलिया का निर्माण कार्य	26,63,000.00	53,300.00	1,200.00	3

नियम एवं शर्तें

- यह निविदा / बिड सूचना उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> एवं सी० एल० डी० एफ० की वेबसाइट www.upcldf.in पर उपलब्ध है। निविदा / बिड से सम्बंधित अन्य सूचना यथा शुद्धिपत्र एवं अन्य जानकारी सी० एल० डी० एफ० की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
- निविदा प्रपत्र के साथ सी० एल० डी० एफ० की निर्धारित में पंजीयन प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, GST पंजीयन एवं PAN Card समस्त अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा निविदा खोलने के समय उपरोक्त समस्त अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध कराना होगा।
- उक्त कार्यों का सम्पादन निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। विलम्ब होने पर की दशा अथवा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की दशा में पेनाल्टी/बीजक से कटौती तथा पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- निविदादाता को निविदा प्रपत्र की निर्धारित शुल्क की संघ द्वारा निर्गत जमा रसीद / उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (UPCLDF), लखनऊ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / पे-आर्डर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी अन्यथा निविदा / बिड को Non-Responsive मानते हुये विचार नहीं किया जायेगा।
- धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा निर्गत ड्राफ्ट / एन०एस०सी०/ एफ०डी०आर० के रूप में जो उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (UPCLDF), लखनऊ के पक्ष में बंधक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा, जिसका स्कैन्ड कॉपी ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- प्रत्येक निविदादाता निविदा के साथ 100.00 रूपए के नॉन जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपए का रसीदी टिकट लगाकर अनुबंध लिखना होगा कि दरें माह तक मान्य होगा। इससे पहले निविदा / ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। इसकी स्कैन्ड कॉपी ऑनलाइन निविदा के साथ अपलोड करानी होगी। नियमानुसार देय जी०एस०टी० आयकर रॉयल्टी देय होगा।
- कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- सभी निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा / बिड डालने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर ले, इसके सम्बन्ध में बाद में दी गई कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

- 10 निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने अथवा बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
- 11 कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 12 राज्य बार कॉउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। अनुबंध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 13 यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबंध कराने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव / असम्यक असर डालता है प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा / बिड की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
- 14 यह संज्ञान में आने पर कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा / बिड डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबंध हो भी गया हो तो उसकी साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
- 15 शासनादेश सं0-622-23-12-2012-2 ऑडिट /08 टी सी / दिनांक- 08.06.2012 के अनुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत बिलो(Below) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर डालने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अनुबंध गठन के पूर्व देय होगी।
- 16 उक्त परियोजना का निर्माण कार्य विभागीय पद्धति से प्राकलित होने के कारण भुगतान की जाने वाली धनराशि में दर्शित दरें /धनराशि से पांच प्रतिशत की कटौती कर ही देयको का भुगतान किया जाएगा।
- 17 सशर्त एवं अपूर्ण निविदा /बिड स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 18 निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा व डाल सकेगा।
- 19 नियमानुसार लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के बीजक से की जाएगी।
- 20 शासनादेश सं0-383/36-2-2010 श्रम अनुभाग-2 दिनांक 26.02.2012 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन 2009 के अन्तर्गत ठेकेदारों को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्यों का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
- 21 इस निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ को होगा।
- 22 निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निविदादाता द्वारा अपलोड / डाउनलोड की गयी स्कैन्ड कॉपी के अभिलेख की मूल प्रति एवं निम्न अभिलेख प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ (सी०एल०डी०एफ०) लखनऊ के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
 - (a) वध पंजायन का प्रति
 - (b) बिन्दु संख्या (2) पर दर्शित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
 - (c) धरोहर धनराशि मूल रूप में।



नोडल अधिकारी
ई-टेंडरिंग कमेटी

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी
संघ लिमिटेड लखनऊ
(यू०पी०सी०एल०डी०एफ०)